[illegible]	वकील प्रार्थी हाजिर। P.O. [illegible] मार्च में व्यस्त है। पत्रावली [illegible] दिनांक 10/01/19 को पेश हो।
10/01/19	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण की अभी तक तामील नहीं हुई अतः अब कर जावे। पत्रावली दिनांक 14/2/19 को पे
14/2/19	वकील प्रार्थी हाजिर कि अप्रार्थीगण की तामील [illegible] पास पत्रावली दिनांक 28/3/19 को पेश हो वकील इंतजाम करें।
28/3/19	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण की तामील अभी तक नहीं कराई गयी है अतः अब आवश्यक खर्च से करायी जावे। पत्रावली दिनांक 2/5/19 को पेश हो।
2/5/19	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण की तामील नहीं कराई गयी है। अतः अब आवश्यक खर्च से करायी जावे। पत्रावली दिनांक 20/6/19 को पेश हो।
20/6/19	पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज लगवायी गयी। प्रार्थी या उसके वकील में से कोई हाजिर नहीं। अतः प्रार्थना पत्र अपत हेतु अग्रिम सोचने प्रार्थी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)